सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 196/2018 दायर दिनाँक 18.06.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. मदनलाल पुत्र हरलाल जाति राईका निवासी मौलासर तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सरजु पुत्री हरलाल 2. सन्तोष पुत्री हरलाल जाति राईका निवासी मौलासर 3. पूर्णाराम पुत्र भागीरथराम 4. हीराराम पुत्र नारायणराम जाति कुम्हार निवासीगण मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 5. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

उपस्थित:–

1. श्री महावीर चतुर्वेदी, वकील, वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 07.01.2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 स्व0 हरलाल जी के पुत्र व पुत्रियां है। स्व0 हरलाल जी के कोई भी जायन्दा पुत्र नहीं था तथा हिन्दु विधि के अनुसार वंश परम्परा से आगे बढाने के लिये वादी को हरलाल जी ने बचपन से ही हिन्दु रिती रिवाज एवं परम्परा के अनुसार गोद में बैठाकर समाज के मौजिज लोगों को एकत्रित कर समाज गांव की औरतों द्वारा मंगलगीत गाकर गुड खोपरे वितरित करके कदिमी काल से चली आ रही परम्परा अनुसार गांव मौलासर में पूर्ण रिती रिवाज एवं रस्म अनुसार गोद ले लिया जिससे वादी के जायन्दा माता पिता भी पूर्ण सहमति व स्वीकृति रहते हुये गोद रस्म में उपस्थित रहकर समारोह से गोद पुत्र के रूप में हरलाल जी के गोद में बैठाकर बाल्याकाल में सुपुर्द कर दिया था।

हरलाल जी की जायन्दा दो पुत्रियां प्रतिवादी सं0 01 व 02 है जो कि शादी होकर अपने अपने ससुराल में आबाद है तथा वादी ने अपनी

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

आय को दोनों बहनों की शादी विवाह एवं अन्य रस्मों पर खर्चा करता आया है। जिससे बहनों ने अपना हिस्सा पूर्व वादी के हक में सुपुर्द कर दिया है।

मौजा मौलासर के खेत खसरा संख्या 483 रकबा 38 बीघा 11 बिस्वा में से 1/6 हिस्सा की खातेदारी पूर्व में हरलाल जी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही है तथा बाद फौत नामान्तरकरण बहैसियत उत्तराधिकार प्रतिवादी सं0 01 व 02 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया परन्तु वादी दत्तक पुत्र होते हुये भी सहवन से राजस्व कर्मचारियों की भुल से खातेदारी में नाम दर्ज नहीं पाया है। वादी स्व0 हरलाल जी का गोद पुत्र है तथा सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र तथा बिजली का बिल इत्यादि में वादी के पिता का नाम हरलाल ही लिखा हुआ है तथा हरलाल हरलाल जी को बुढावे में सेवा चाकरी एवं स्वर्गवास के बाद गंगाजी हरिद्वार में जाकर अस्थियां विसर्जन एवं गांव में पगडी दस्तुर एवं गंगा प्रसादी समस्त क्रियाक्रम वादी ने ही किया है। राव भाट की वंशावली में भी वादी स्वर्गीय हरलाल राईका का पुत्र वर्णित है। वाके सरहद मौलासर के खसरा संख्या 483 रकबा 38 बीघा 11 बिस्वा में से 1/6 हिस्सा पर आबाद व निर्बाध रूप से भौतिक व वास्तविक रूप से कब्जा काश्त वादी का ही चला आ रहा है। जिससे वादी के नाम उक्त हिस्से को जरिये घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती एवं बंटवारा का वाद पेश करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाया जावें कि वादपत्र में वर्णित भूमि खसरा सं0 483 रकबा 38 बीघा 11 बिस्वा में से 1/6 हिस्सा मौलासर को घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती एवं बंटवारा किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किये जाने का आदेश फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वाद के समर्थन में वादी ने, जमाबन्दी की नकल सं0 2072–2075, राशनकार्ड, विद्युतबिल, की प्रति पेश की।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 196/2018
दायर दिनाँक 18.06.2018, निर्णय दिनाँक 07.01.2019
मदनलाल बनाम सरजु, वगैरा।

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक दावा तथा अनुतोष वादी मुताबिक दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, वादी अनुतोष के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद मौलासर के खसरा संख्या 483 रकबा 38 बीघा 11 बिस्वा में से 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं0 01 व 02 की खातेदारी के स्थान पर वादी मदनलाल के नाम घोषित की जाती है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम हटाया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **07.01.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना।
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 196/2018 दायर दिनॉक 18.06.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. मदनलाल पुत्र हरलाल जाति राईका निवासी मौलासर तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. सरजु पुत्री हरलाल 2. सन्तोष पुत्री हरलाल जाति राईका निवासी मौलासर 3. पूर्णाराम पुत्र भागीरथराम 4. हीराराम पुत्र नारायणराम जाति कुम्हार निवासीगण मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 5. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनॉक 07.01.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महावीर चतुर्वेदी, वकील, वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद मौलासर के खसरा संख्या 483 रकबा 38 बीघा 11 बिस्वा में से 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं0 01 व 02 की खातेदारी के स्थान पर वादी मदनलाल के नाम घोषित की जाती है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम हटाया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........-.......... मुवलिंग............-.............. बाबत.....................
-....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........-......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 07.01.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	–		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–**196–2018** / रीडर / 2018/ 53 दिनाँक 16/1/19

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
मदनलाल पुत्र हरलाल जाति राईका निवासी मौलासर तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सरजु पुत्री हरलाल 2. सन्तोष पुत्री हरलाल जाति राईका निवासी मौलासर 3. पूर्णाराम पुत्र भागीरथराम 4. हीराराम पुत्र नारायणराम जाति कुम्हार निवासीगण मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागैर राज0 5. तहसीलदार डीडवाना

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner